



नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री



सत्यमेव जयते



प्रधान मंत्री
आवास योजना
Pradhan Mantri Awas Yojana



हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

टांगरटोली किफ़ायती आवास परियोजना, बुँडू

मात्र **रु० 3.17 लाख** में अपना घर

आवासीय परियोजना की विशेषताएँ

- | लगभग 313 वर्गफीट का घर
- | बिजली, पानी, आधारभूत संरचना की सम्पूर्ण व्यवस्था
- | बैंको से आसान किस्तों में लोन
- | रजिस्ट्री शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी मात्र 1 रु० में
- | सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था
- | 2 पहिया, 4 पहिया पार्किंग की व्यवस्था

पात्रता

- | वैसे परिवार जो 17 जून 2015 के पूर्व से नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करते हैं।
- | परिवार की सालाना आमदनी अधिकतम 3 लाख रु० हो।
- | आवेदक या उसके परिवार के नाम से भारत में कहीं पक्का मकान न हो।
- | योजना अंतर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।

फ्लैट की प्रमुख विशेषताएं

- विट्रीफाइड टाइल्स युक्त फ़र्श
- डिस्टेंपर युक्त रंगरोगन
- स्टेनलेस स्टील सिंक
- LED बल्ब का प्रावधान
- बाथरूम फिटिंग (हिंदवेयर)
- कमरों में पंखे का प्रावधान
- दीवारों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस
- अल्युमिनियम की खिड़कियां
- 24 घंटे पानी की व्यवस्था



हमारा सपना...
हर शहरी गरीब का हो घर अपना



परियोजना विवरण

क्र० सं०	ब्यौरा	विवरण
1	परियोजना स्थल	टांगरटोली
2	परियोजना का क्षेत्र	0.7 एकड़ में
3	कुल फ्लैट की संख्या	कुल 80 फ्लैट
4	प्रति फ्लैट की लागत	रु 5.67 लाख
5	प्रति फ्लैट केंद्र सरकार का अंशदान	रु 1.5 लाख
6	प्रति फ्लैट राज्य सरकार का अंशदान	रु 1 लाख
7	प्रति फ्लैट लाभुक का अंशदान	रु 3.17 लाख
8	प्रति फ्लैट कारपेट एरिया	313 वर्ग फीट
9	भवन का निर्माण	RCC ढांचा (संरचना G+3)
10	प्रति फ्लैट का आंतरिक विवरण	1 लिविंग रूम, 1 बेडरूम, 1 रसोई घर, 1 शौचालय, 1 बाथरूम एवं 1 बालकनी
11	आवासीय परिसर में सुविधाएं	जलापूर्ति, आंतरिक सड़क, नाली, जल संचयन, सीवरेज और ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, तार से बाउंड्री की घेराबंदी, मुख्यद्वार, पार्किंग, पार्क / ग्रीन एरिया, अन्य।

आवेदन पत्र के साथ जमा करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

आवेदन हेतु निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य होंगे-

- लाभार्थी का पहचान पत्र एवं संयुक्त धारक का पहचान पत्र (स्व सत्यापित छायाप्रति)
- लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो (3 प्रति)
- लाभार्थी का बैंक अकाउंट संख्या एवं पासबुक (स्व सत्यापित छायाप्रति)
- लाभुक सहमति पत्र (स्व हस्ताक्षरित मूल प्रति); (Consent Form)
- स्व घोषणा पत्र (स्व हस्ताक्षरित मूल प्रति)
- आधार कार्ड (स्व सत्यापित छायाप्रति)
- लाभार्थी का चालू मोबाइल नं० (आवास आवंटित होने तक सुगम संपर्क हेतु)

नोट: पहचान पत्र में ये दस्तावेज मान्य होंगे:-

- पासपोर्ट/ पैन कार्ड /मतदाता पहचान पत्र/ राशन कार्ड/ राजस्व प्रधिकार प्रमाण पत्र/ बैंक पासबुक/ बी.पी.एल कार्ड)

आवेदन कैसे करें?

- लाभार्थी नगर पंचायत से आवेदन फॉर्म, घोषणा पत्र एवं लाभुक सहमति पत्र प्राप्त कर उसे भरकर नगर पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- लाभार्थी फॉर्म जमा करने के उपरांत प्राप्ति रसीद के तौर पर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

टांगरटोली किफ़ायती आवास परियोजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री नं०: **1800-120-2929** पर संपर्क कर सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए बुड़ू नगर पंचायत से संपर्क करें

नगरीय प्रशासन निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार
Follow us on :     @jharkhandDMA
Website : dmajharkhand.in